उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-6/78/साठ-3-14-3(21)/97
लखनऊ:: दिनांक:: 17 जनवरी, 2014

अधिसूचना

उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियाम 2004(यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0(श्रीमती) विनीता सिंह उत्तम, पत्नी डा0 सुजीत कुमार उत्तम, निवासिनी सुरजीत सदन, 3/12 विराट खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को श्री राज्यपाल, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं, जो पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगी।

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

संख्या-मु0मं0-78(1)/साठ-3-14, तददिनॉक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण ।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
6- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
7- निदेशक, महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ ।
8- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ ।
9- सदस्य सचिव, उ0 प्र0 महिला आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ ।
10- प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ ।
12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ ।
13- सचिव, उ0 प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ ।
14- सदस्य सचिव, उ0 प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ ।
15- जिलाधिकारी, लखनउ को इस अनुरोध कि साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करे ।
16- सम्बन्धित नामित सदस्य ।
17- महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।
18- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।